



14.06.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/224

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
कृष्णादेवी आदि बनाम श्योकोरीं आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 209 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
22.05.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.06.2024 को पेश हो।	
31.5.2024	वकील वकी ने पत्रावली पर पत्रावली पेश करके पत्रावली को पेश में लिखा गया। वकिलार फरिडेन उपस्थित पेश वकी रहे। ने जरिये वकील पत्रावली सहित उपस्थित आकर वकिलार द्वारा पेश किया जिसे दालिल फरिडेन किया गया। पत्रावली जस्टे स्टेट एक्ट आदि दिनांक 14.6.2024 को पेश हो।	 डा. नि. श्योकोरीं अध्यक्षी
5.6.2024	वकिलार वकिलार उपस्थित/PU सहित हुकम में पत्रावली पेश किया गया। दिनांक 14.6.2024 को पेश हो।	
14.6.2024	वकिलार फरिडेन उपस्थित स्टेट एक्ट पत्रावली उभरी बहलुनी गरी पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दिनांक जारी व वकील पेश वकी की शहमाति से आवाज पर वाद करी रिक्ती किया जाता है। वकील वकिलार सहित वकील वकिलार के लिखाया जाकर दालिल फरिडेन किया जाये। पत्रावली नम्बर से कर की पत्रावली वाद व वकील वकिलार पत्रावली दालिल फरिडेन हो।	

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर**

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 209/2024 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

1. कृष्णा देवी पुत्री राजुराम पत्नी लिच्छीराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेशर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. चावली पुत्री राजुराम पत्नी छोटुराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेशर हाल निवास निमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

— वादीगण

बनाम

1. श्योकोरी पत्नी मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेशर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादीगण  
श्री प्रभुदयाल सहारण वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 14-06-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादीया नं. 1 कृष्णा देवी को आराजी जरई रौही मोजा धीरदेशर के खसरा नं. 38 की 2.609 है. व खसरा नं. 9 की 1.332 है. मध्य भाग कुल तादादी 3.941 है. भूमि,
2. वादीया नं. 2 चावली को आराजी जरई रौही मोजा सीरासर के खसरा नं. 419/4 की 3.289 है. व रौही मोजा धीरदेशर के खसरा नं. 9 की 0.651 है. दक्षिणी पासा की तहसील पल्लू की भूमि,
3. प्रतिवादी नं. 1 श्योकोरी को आराजी जरई रौही मोजा धीरदेशर के खसरा नं. 6 की 4. 553 है. खसरा नं. 9 की 0.040 है. उत्तरी पासा की कुल- 4.593 है तहसील पल्लू की खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14-06-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

